

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एन-30/2018/1530 दिनांक:- 21/10/18

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
भरतपुर।

विषय:- श्रीमती नीतू चौधरी, नर्स-2 (प्रोबेशनरी) के प्रसूति अवकाश बाबत।  
संदर्भ:- आपका पत्रांक 2781 दिनांक 01.05.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के संलग्नक में भिजवाये प्रसूति अवकाश प्रकरण में लेख है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 103 के तहत उक्त अवकाश की स्वीकृति हेतु आप स्वयं ही सक्षम हैं एवं इसके पश्चात लिए गये 4 दिवस अवकाश को निरस्त कर प्रकरण को निदेशालय को भिजवाये।

अतः आप अपने स्तर से ही कार्मिका का प्रसूति अवकाश स्वीकृत करें।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 31-10-2018

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एन-30/2018/1530

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 2- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर